न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –69 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/181

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

फर्म प्रकाश ढाबा मावा मार्केट सिन्धी धर्मशाला के सामने, गुमानपुरा कोटा संचालक हरीश कुमार पुत्र मंगलराम निवासी म.नं.189 सिन्धी कॉलोनी जिला जिला कोटा राज0

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 19 .5.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 11.3.2026 के निर्देशानुसार जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, जमाखोरी रोकने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशानुसार घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 16.03.2026 को जांच दल में सम्मिलित विपिन कुमार कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विशाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक व श्रीमती तारा प्रेमचन्दानी कोटा मावा मार्केट सिन्धी धर्मशाला के सामने, गुमानपुरा कोटा के क्षैत्र स्थित प्रकाश ढाबा पर मौके पर पहुंचे । मौके पर हरीश कुमार पुत्र मंगलराम निवासी म.नं. 189 सिन्धी कॉलोनी उपस्थित मिलें, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान का मालिक होना बताया । जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) भट्टी से जुड़े हुये पाये गये जिस पर खाना बनाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलु उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था । मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर सुलभ गैस एजेन्सी कोटा के प्रतिनिधि श्री गोकुलेश बांकला पुत्र श्री हरीशचन्द बांकला निवासी दादाबाडी, कोटा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 5215/– अक्षरे पांच हजार दो सौ पन्द्रह रूपये है ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरो का उपदर्शित भार / टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम मे	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	HPCL	324743	14.2	16.0	16.0	0.0	घरेलू
	HPCL	255102	14.2	15.7	26.7	11.0	घरेलू

इस प्रकार मावा मार्केट सिन्धी धर्मशाला के सामने, गुमानपुरा कोटा क्षेत्र में संचालित फर्म प्रकाश ढाबा के मालिक हरीश कुमार के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) को राजसात करने का आदेश प्रदान करें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि नोटिस में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है जबकि वास्तविकता यह है किम प्रार्थी उक्त फर्म पर भोजन बनाने एवं विक्रय का कार्य किया जाता है तथा प्रार्थी के पास कोयला तन्दूर है एवं डीजल भट्टी है जिस पर ही समस्त कार्य किया जाता है तथा प्रार्थी के पास स्वयं के नाम से कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर है । जिन घरेलू गैस सिलेण्डरों का हवाला दिया गया है वह प्रार्थी के ढावे पर कार्यरत कर्मचारी राजू के स्वयं के है तथा उसने गैस सिलेण्डर रिफलिंग के लिए ढाबे पर रखे हुये थे तथा सिलेण्डर बुक करवा रखे थे, जिन्हें प्रापत करने हेतु ढावे पर उक्त सिलेण्डर रखे हुये है । प्रार्थी का उक्त अधिनियम के विरूद्व कोई कार्य नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारी को बताया गया था किन्तु उनके द्वारा प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की तथा उक्त नोटिस जारी कर दिया है जो कि खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थी के विरूद्व जारी नोटिस एवं की जा रही कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करें ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर अप्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर, अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित पाते है ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा